अध्याय-III
लेन-देन की लेखापरीक्षा

अध्याय-III
लेन-देन की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों द्वारा किए गए लेन-देन की नमूना जांच से निकले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

सरकारी कम्पनियां

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

3.1 राज्य इमदादी स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों का प्रापण एवं वितरण

कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति खुदरा दुकानों/डिपो को खाद्य मदों की कम प्रमात्रा वितरित की। ₹ 14.48 करोड़ मूल्य की खाद्य मदों (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) के नमूने जांच में खराब पाए गए तथा प्रतिवेदन तीन से चार महीनों के विलम्ब से प्राप्त हुए। कम्पनी द्वारा दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के साथ राज्य सरकार द्वारा भुगतान जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के दौरान कम्पनी को ₹ 8.80 करोड़ की ब्याज़ हानि हुई।

3.1.1 परिचय

राज्य सरकार ने प्रथम अप्रैल 2007 से उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणली के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ को बढ़ाया। स्कीम के अंतर्गत, दालें, खाद्य तेल व आयोडाइज्ड नमक की सभी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित परिमापानुसार[1] इमदाद लागत पर आपूर्ति की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों का आवंटन प्रत्येक मास हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (कम्पनी) को निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला द्वारा निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले के पास पंजीकृत राशन कार्डों के आधार पर किया जाता है। आवंटित मदों का प्रापण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को वितरणार्थ उचित मूल्य की दुकानों को किया जा रहा है। कम्पनी को प्रापण लागत तथा बिक्री लाभ के मध्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी के निगम कार्यालय, सात में से चार[2] क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कम्पनी की कुल 111 खुदरा दुकानों (चयनित यादृच्छिक) में से 15 दुकानों[3] की 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान की नमूना जांच के माध्यम से फरवरी से अप्रैल 2014 के मध्य कम्पनी द्वारा कार्यान्वयन राज्य इमदादी स्कीम, 2007 की संवीक्षा की।

3.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2.1 इमदादी मदों का आवंटन

धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कम्पनी की 15 खुदरा दुकानों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कम्पनी ने खुदरा दुकानों/डिपों को

---

1 दो परिवार सदस्य: एक किलो ग्राम दाल, एक लीटर खाद्यन्न तेल तथा एक किलो ग्राम नमक; तीन और चार परिवार सदस्य: दो किलो ग्राम दाल, दो लीटर खाद्यान्न तेल तथा एक किलो ग्राम नमक; जबकि पांच और अधिक परिवार सदस्य: तीन किलो ग्राम दाल, दो लीटर खाद्यन्न तेल तथा एक किलो ग्राम नमक।

2 भट्टाकुफर, सोलन, धर्मशाला और मण्डी।

3 कोतवाली बाजार, सिविल लाईंज, शामनगर, ब्राकॅहस्ट, कसुम्पटी, संजौली, छोटा शिमला, सलापड़, सालगी, कुनू, मण्डी, चतरोखड़ी, गोपालपुर, लड़भड़ोल और टिहरा।

1,228 क्वींटल (8.23 *प्रतिशत*) दालें, 1,26,478 लीटर (9.15 *प्रतिशत*) खाद्य तेल तथा 903 क्वींटल (17.24 *प्रतिशत*) आयोडाइज्ड नमक की कम आपूर्ति की। अत:, कम्पनी द्वारा खुदरा दुकानों/डिपो को राज्य सरकार द्वारा आवंटन के प्रति कम वितरण किया गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि जारी करने के आदेश निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा उनके पास पंजीकृत राशन कार्ड की संख्या के आधार पर दिए जाते हैं किन्तु खुदरा दुकानों द्वारा उनके पास महीने के अंतिम दिन विद्यमान स्टॉक को ध्यान में रखकर उठवाने का कार्य किया जाता है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खुदरा दुकानों द्वारा मासिक फीडबैक को अपने पास उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखने के पश्चात निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसलिए कम्पनी को कड़ाई से आवंटन के अनुसार खरीद को किया जाना चाहिए।

3.1.2.2 अव-मानक मदों की खरीद/वितरण

खाद्य मदों की आपूर्ति हेतु खरीद आदेशों की शर्तों एवं निबन्धनों में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्त्ता को सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति विदेश मामले, कीट क्षति एवं अन्य पैरामीटरों के सम्बंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके नीचे के विनियमों के अधीन निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार थी। यदि आपूर्ति की मदें अनुमोदित नमूनों के अनुसार नहीं पाई जाती तो आपूर्तिकर्त्ताओं से एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी लागत पर मदों को बदलना अपेक्षित था और उनकी बिक्री के कारण न बदलने के मामले में 20 प्रतिशत शास्ति आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूली योग्य थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010 से 2014 के दौरान ₹ 14.48 करोड़[4] मूल्य के दालों (22,296 क्वींटल), सरसों/रिफाइंड तेल (2,50,213 लीटर) तथा आयोडाइज्ड नमक (12,568 क्वींटल) के नमूने जांच में खराब निकले। इसमें ₹ 1.77 करोड़ मूल्य की 3,309 क्वींटल दालों की आपूर्ति सम्मिलित है जिसमें 2 से 290 प्रति नमूने के मध्य कीट (जीवित एवं मृत) पाए गए। इन नमूनों के जांच प्रतिवेदन तीन तथा चार महीने के मध्य के विलम्ब पश्चात प्राप्त हुए, तब तक सारी खेपों को बिना बदले उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जा चुका था। तथापि, कम्पनी ने सम्बंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 2.90 करोड़ की शास्ति वसूल की जिसे राज्य सरकार को प्रत्यर्पित नहीं किया गया।

अत: कम्पनी की अव-मानक मदों को बदलवाने में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया अपितु उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ उनको अव-मानक मदें वितरित करके समझौता भी किया गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि दालों की आपूर्ति यूनिटों द्वारा उनको दृष्टतया स्टॉक निरीक्षण पश्चात उपलब्ध अनुमोदित नमूनों के अनुसार प्राप्त की जाती है और प्रतिवेदन प्राप्त होने तक बिक्री रोकने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। शास्ति राशि को सरकारी लेखे में प्रत्यर्पित करने का मामला विचाराधीन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को वितरण से पूर्व जांच प्रतिवेदनों को प्राप्त करना चाहिए था, जिससे अव-मानक आपूर्ति को बदला जा सकता था।

---

[4] (दालें: ₹ 11.96 करोड़; खाद्य तेल: ₹ 1.86 करोड़; आयोडाइज्ड नमक: ₹ 0.66 करोड़)

3.1.2.3 आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 11 आपूर्तिकर्त्ताओं ने ₹ 5.59 करोड़ मूल्य की 11,198 क्वींटल दालों की आपूर्ति की। इन आपूर्तिकर्त्ताओं को उनकी पूर्व आपूर्ति निरीक्षणों में खराब निकलने के बावजूद बारम्बार आपूर्ति आदेश दिए गए। कम्पनी के पास नियमित रूप से उन फर्मों की पहचान हेतु जिनकी आपूर्तियां निरीक्षणों में खराब निकली, कोई तन्त्र नहीं है जिससे उन्हें निकाला/काली-सूचि में डाला जा सके। अत:, कम्पनी इन आपूर्तिकर्त्ताओं को अव-मानक खाद्य मदों हेतु बारम्बार खरीद आदेश देकर निरन्तर अनुचित लाभ पहुंचाती रही।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि अव-मानक प्रमात्राओं के न बदलने के मामले में आपूर्तिकर्त्ताओं से खेप मूल्य के 20 *प्रतिशत* के बराबर की शास्ति वसूल कर ली गई थी। जहां तक फर्मों को काली-सूचि में डालने का सम्बन्ध है, काली-सूचि में डालना अच्छा हल नहीं है क्योंकि इससे भविष्य की निविदाओं की प्रतिस्पर्धा कम रह जाती है।

सरकार का उत्तर 20 *प्रतिशत* शास्ति के भुगतान पर अव-मानक मदों की बारम्बार आपूर्ति की प्राप्ति को सिद्ध करता है जिसे प्रत्येक दोषी स्वीकार करना पसंद करेगा।

3.1.3 इमदादी मदों का वितरण

3.1.3.1 दालों के दीर्घावधि भण्डारण से हानि

आपूर्ति आदेश की शर्तों एवं निबन्धनों में प्रावधान है कि दालों की गुणवत्ता पैकिंग की तिथि से चार महिनों हेतु वही रहनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2014) कि ₹ 5.56 लाख[5] मूल्य का दालों (चना व उड़द) का स्टॉक कम्पनी के थोक गोदामों में विगत दो से छ: वर्षों तक पड़ा हुआ था। अभिलेखों की संवीक्षा आगे यह भी दर्शाती है कि क्षेत्र में इन दालों की मांग नहीं थी जिसके कारण इनका वितरण नहीं किया जा सका। कम्पनी ने उसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में अंतरण/अपवर्तन के प्रयत्न नहीं किए। परिणामत: ₹ 5.56 लाख का पूरा स्टॉक दीर्घ भण्डारण के कारण मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि उक्त स्टॉक जनजातीय एवं बर्फ से ढ़के क्षेत्रों में पड़ा हुआ था इसलिए यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त था और अक्तुबर 2014 से आगे वितरित किया जाएगा।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दालें पैकिंग तिथि से चार महीनों तक ही उपयोग हेतु उपयुक्त होती हैं। इसलिए विगत 2 से 6 वर्षों हेतु पड़ा हुआ स्टॉक वितरणार्थ उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

3.1.3.2 प्रतिदर्श की जांच पर परिहार्य व्यय

कम्पनी ने पर्याप्त एवं समय पर जांच सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु पांच प्रयोगशालाओं को सूचिबद्ध किया (अक्तूबर 2013)। एकमात्र मूल्यांकन मापदण्ड जांच तथा अशंशोधन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र थे। विभिन्न सामग्रियों के प्रतिदर्शों की जांच हेतु दरें आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में कोई अन्य मूल्यांकन मापदण्ड उल्लिखित नही था। कम्पनी ने प्रति नमूना जांच हेतु दालों के ₹ 1,500 तथा ₹ 9,450 के मध्य,

---

[5] ₹ 0.64 लाख के मूल्य का 23.30 क्वींटल दाल चना (थोक गोदाम काजा: 21.30 क्वींटल तथा टिक्कर: 2.00 क्वींटल) और ₹ 4.92 लाख के मूल्य की 113.90 क्वींटल उड़द (थोक गोदाम: साच: 50.29 क्वींटल; कुमार: 15.25 क्वींटल, साहली-24.22 क्वींटल तथा सैचू-24.14 क्वींटल)

रिफाईंड/सरसों तेल ₹ 2,300 से ₹ 9,450 के मध्य और आयोडाइज्ड नमक ₹ 2,500 तथा ₹ 11,250 की दरें अनुमोदित की।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014) में पाया गया कि दरें आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में कोई मापदण्ड नही था। इसके अतिरिक्त, पार्टियों से निम्नतम उद्धृत दरें मिलाने के लिए नहीं कहा गया था। पांच प्रयोगशालाओं की उद्धृत दरें अन्तिम रूप से स्वीकार की गई थी। आगे, इन प्रयोगशालाओं को प्रतिदर्श प्रेषित करते समय निम्नतम दरों पर विचार नहीं किया गया था और दरों पर विचार किये बिना प्रतिदर्श जांच के लिए भेजे गए थे। सूचिबद्ध प्रयोगशालाओं की न्यूनतम दरों के साथ प्रयोगशालाओं को भुगतान की गई दरों की तुलना पर नवम्बर 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 775 नमूनों की जांच पर ₹ 18.86 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ जो **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

यह देखा जा सकता है कि केवल 32.78 *प्रतिशत* दालों, 30.07 *प्रतिशत* तेल, 42.17 *प्रतिशत* आयोडाइज्ड नमक तथा 8.26 *प्रतिशत* अन्य मदों के नमूने एल-। दरों पर विश्लेषित किए गए थे। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को मदों के वितरण पश्चात प्रतिवेदनों को अभी तक प्राप्त किया जा रहा था। अत:, निज़ी प्रयोगशालाओं को नियुक्त करने के पश्चात भी खाद्य मदों का वितरण करने से पूर्व जांच प्रतिवेदनों को प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि प्रयोगशाला चयनार्थ एल-। को एकमात्र कसौटी के रूप में नहीं लिया जा रहा था क्योंकि इससे तंत्र स्थापना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की सराहना करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि नमूना प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रतिवेदनों को भेजने तथा विलम्ब के प्रत्येक सप्ताह हेतु 2 *प्रतिशत* जांच प्रभारों की कटौती सम्बन्धी प्रावधानों को सितम्बर 2014 से अगस्त 2015 के वर्ष हेतु सम्मिलित किया जा चुका था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को दरों तथा एल-1 दरों के उद्धरण देने वाली प्रयोगशाला को दिये गए वस्तु आपूर्ति आदेश विश्लेषित करने चाहिए थे अथवा प्रयोगशालाओं को निम्नतम उद्धृत दरों से मिलाने के लिए कहना चाहिए था। एल-1 दरों पर जांच किये जाने में असफलता के परिणाम स्वरूप ₹ 18.86 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। आगे, तंत्र की स्थापना के बावजूद इसकी कोई गारंटी नही थी कि जांच प्रतिवेदनों की प्राप्ति के पश्चात ही खाद्य मदें संवितरित की जाएंगी।

3.1.4 राज्य इमदादी स्कीम के कार्यान्वयन में हानि

3.1.4.1 निविदा लागत के अल्प दावे के कारण हानि

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की सिफारिश पर सरकार ने स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों के प्रापण पर निविदा लागत को ₹ 1.00 करोड़ *प्रति वर्ष* प्रतिबंधित (दिसम्बर 2007) कर दिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014) में पाया गया कि कम्पनी ने ₹ 7.00 करोड़ की अनुमत राशि के प्रति केवल ₹ 41.00 लाख (2007-08 से 2013-14) का दावा किया, परिणामत: ₹ 6.59 करोड़ का अल्प दावा किया गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि सभी पक्ष-विपक्ष पर उचित विचार के पश्चात एक करोड़ की सीमा शर्त पर ही निविदा लागत प्रतिपूर्ति को अनुमत किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (दिसम्बर 2007) निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की सिफारिशों (नवम्बर 2007) में निविदा भरने के सम्बन्ध में अन्य खर्च सम्मिलित थे जो कम्पनी द्वारा दावा किए जाने चाहिए।

3.1.4.2 इमदादी दावों के निपटान में विलम्ब से ब्याज़ हानि

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की समिति के सिफारिशों (अक्तूबर 2009) के अनुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निधियों का आवंटन महीने के तीसरे सप्ताह को अथवा पहले सुनिश्चित करना था जिससे कम्पनी को प्रत्येक महीने की 30 तारीख से पहले निधियां जारी की जा सके। इसी भांति, कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख से पहले भुगतानार्थ महीने की 22 तारीख से पहले मासिक प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2014) दर्शाती है कि यद्यपि कम्पनी इमदादी दावों को मासिक आधार पर बनाती है तथापि दावों को राज्य सरकार को आगामी महीने प्रस्तुत नहीं करती। दावों को पूर्व महिने हेतु बनाने/प्रस्तुत करने का एक महीना अनुमत करने के पश्चात भी इमदादी दावों को प्रस्तुत करने में दो से 71 दिनों के मध्य का विलम्ब हुआ। कम्पनी के पक्ष पर इमदादी दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 1.67 करोड़[6] की ब्याज़ हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी इन इमदादी दावों के प्रति भुगतान करने में विलम्ब किया। कम्पनी द्वारा मासिक दावों को प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान जारी करने में ₹ 7.13 करोड़ की अनुवर्ती ब्याज़ हानि सहित 5 से 128 दिनों के मध्य का सरकारी विलम्ब हुआ।

अत:, राज्य इमदादी स्कीम के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय के सम्बंध में कम्पनी द्वारा भुगतानों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण अप्रैल 2010 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 8.80 करोड़ की कुल ब्याज़ हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि कम्पनी ने इमदादी दावों को यथा सम्भव शीघ्र प्रस्तुत किया किन्तु किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियोंवश कुछ विलम्ब हुआ। जहां तक सरकार से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब का प्रश्न है तो यह कहा गया कि कम्पनी बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान प्राप्त नहीं कर सकी।

3.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से अधिक वसूली

फरवरी 2010 से खाद्यान्नों के परिवहन पर सेवा कर छूट के शीघ्र पश्चात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की जारी दरों को कम न करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से ₹1.00 करोड़ की अधिक वसूली की गई।

भारत सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चावल तथा गेहुं उपलब्ध करवाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (कम्पनी) के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2007 में गेहुं (₹525 प्रति क्वींटल) तथा चावल (₹685 प्रति क्वींटल) की जारी दर को निर्धारित करते समय राज्य सरकार ने खाद्यान्नों के परिवहन पर यथा प्रयोज्य 3.06 *प्रतिशत* की दर पर सेवा कर लगाया। उचित मूल्य की दुकान तक परिवहन प्रभार ₹60 प्रति क्वींटल नियत किए गए। इन दरों को तब से संशोधित नहीं किया गया

[6] ब्याज़ हानि 8.5 *प्रतिशत* वार्षिक की औसत दर पर संगणित की गई जिस पर कम्पनी ने आवधिक जमा में अपनी अधिशेष निधियों का निवेश किया।

है। फरवरी 2010 में जारी अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने सेवा कर भुगतान से खाद्य छूट सूची में खाद्यान्नों को सम्मिलित कर लिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2014) में पाया गया कि कम्पनी ने फरवरी 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी छूट अधिसूचना के पश्चात दरों को कम नहीं किया जिससे उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जा सकता और उनसे निरन्तर इस सेवा कर घटक को वसूल किया जा रहा था। छूट अधिसूचना जारी होने के पश्चात कम्पनी ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि हेतु ₹32.68 करोड़[7] के परिवहन प्रभारों की वसूली द्वारा 54,47,063 क्वींटल चावल व गेहुं को वितरित किया। इन परिवहन प्रभारों पर कम्पनी ने गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं से ₹1.00 करोड[8] की सेवा कर राशि भी वसूल की। कम्पनी ने इस सेवा कर राशि को कर प्राधिकारियों के पास जमा नहीं करवाया और गलत रूप से इसकी आय में गणना की।

अत:, कम्पनी का सेवा कर छूट पश्चात जारी दरों को कम न करने से राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के अतिरिक्त शास्ति दायित्व भी था जो कर प्राधिकारी मार्च 2010 से वसूल किए गए सेवा कर जमा नहीं करवाने हेतु वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 75 व 76 के साथ पठित धारा 73 क (2) अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुसार लगा सकते हैं।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि उपरोक्त ₹1.00 करोड़ की राशि मई 2014 में कर प्राधिकारियों के पास जमा करवा दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने अभी तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी दरों को संशोधित नहीं किया था जिससे उन्हें सेवा कर छूट का लाभ मिलता।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

3.3 निर्धारित मांग प्रभारों की अवसूली से हानि

विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के प्रावधानों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ के निश्चित मांग प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता, 2009 (मई 2009 से लागू) के अध्याय 3 (खण्ड 3.9) में अनुबद्ध है कि उच्च वेग/अतिरिक्त उच्च वेग आपूर्ति के मामले में, जहां लाइसेंस धारक ने आवेदक को विद्युत आपूर्ति के लिए अपेक्षित कार्य पूर्ण कर लिया है किन्तु आवेदक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने को तैयार नहीं अथवा विलम्ब करता है या पूर्ण अनुबद्ध मांग का उपयोग नहीं करता, लाइसेंस धारक साठ दिनों के नोटिस पश्चात अनुपातिक आधार पर संविदा शुल्क दर आदेश के अनुसार स्वीकृत संविदा मांग पर निर्धारित/मांग प्रभारों को प्रभारित करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2012 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 39 मामलों में यद्यपि कम्पनी ने आवेदकों को अपेक्षित विद्युत आपूर्ति हेतु कार्यों को पूर्ण कर लिया था किन्तु कम्पनी के फील्ड यूनिट उपभोक्ताओं को अपेक्षित कार्यों की पूर्णता/अपेक्षित भार की तत्काल आपूर्ति

---

7 परिवहन प्रभार 54,47,063 क्वींटल × ₹60 प्रति क्वींटल = ₹32.68 करोड़

8 सेवा कर ₹32.68 करोड़ × 3.06 *प्रतिशत* = ₹1.00 करोड़

सम्बंधी नोटिस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार सूचित/जारी करने में विफल रहे। ऐसे नोटिस जारी न करने के कारण कम्पनी सम्बंधित शुल्क दर आदेशों के अनुसार निर्धारित मांग प्रभारों को वसूल नहीं कर सकी। अत: उपभोक्ताओं को नोटिस जारी/सूचित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप फरवरी 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान (नोटिस की 60 दिनों की अनुमत अवधि पश्चात) ₹1.90 करोड़ के निर्धारित मांग प्रभारों की वसूली नहीं हुई जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

विद्युत मण्डल, मंडी ने उत्तर में बताया (जुलाई 2012) कि पांच उपभोक्ताओं के लेखों में विविध प्रभार पंजिका के माध्यम से ₹21.08 लाख डाल दिए गए हैं किन्तु वास्तविक वसूली अभी तक प्रतीक्षित थी बाकि उपभोक्ताओं के बारे, उत्तर/अनुपालना अभी भी प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मामला सरकार को अप्रैल 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

3.4 कार्य प्रभारित स्टॉफ पर निष्फल व्यय

सतलुज जल विद्युत निगम सीमित में प्रतिनियुक्ति से दैनिक-भोगी कामगारों को वापस बुलाने अथवा उन्हें कार्य प्रभारित संवर्ग पर उन्नयन पश्चात उनकी प्रतिनियुक्ति शर्तें एवं निबन्धनों के व्यवस्थापन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की विफलता के कारण ₹1.77 करोड़ का भुगतान निष्फल रहा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 1990-91 से, अर्थात सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को परियोजना के अंतरण से पूर्व, नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना के निर्माण पर दैनिक भोगी कामगारों को तैनात किया। राज्य सरकार द्वारा परियोजना को सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित को अंतरण पश्चात इन दैनिक-भोगी कामगारों को दोनों संगठनों के मध्य सहमति के आधार पर रोके रखा तथा निक्षेप कार्य के प्रति समायोजित किया गया।

तद्नन्तर, राज्य सरकार की नीति के अनुशीलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इन कामगारों को दिसम्बर 1997 तथा अक्तूबर 2000 के मध्य कार्य प्रभारित संवर्ग में लाया। किन्तु सतलुज जल विद्युत निगम सीमित प्राधिकारियों ने कार्य प्रभारित संवर्ग को उनके उन्नयन के परिणामस्वरूप वृद्धि प्रभाव को वहन करने से मना कर दिया और राज्य सरकार के हस्तक्षेप (अगस्त 2000) के पश्चात सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित इस शर्त पर उन्हें (64 कामगार) रखने को सहमत हो गया कि वेतन वृद्धि दरों के सम्बन्ध में अंतरीय राशि का वहन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपरोक्त वेतन अंतर के भुगतान को सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित द्वारा उठाए गए मासिक बिलों के प्रति निपटाने को सहमत (जनवरी 2001) हो गया।

तथापि सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित प्राधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नियमित गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को अप्रैल 2001 से सामान्य प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं निबन्धन पर समायोजन की नीति आरम्भ की (मार्च 2002) बशर्ते सैकेंडमेंट आधार पर उनके निरन्तर बने रहने का विकल्प हो। निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को वापिस बुलाया जाना था। इसके पश्चात रामपुर जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयनार्थ राज्य सरकार और सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित के मध्य अनुबन्ध किया गया (अक्तूबर 2004)। अनुबन्ध के खण्ड 7 व 8 के साथ पठित खण्ड 38 में हिमाचल प्रदेश राज्य

विद्युत बोर्ड के सभी कर्मचारियों को रखे रहने का प्रावधान है जो उस तिथि के साथ-साथ भविष्य में सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित में प्रतिनियुक्ति पर थे। इसके बावजूद, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपरोक्त प्रावधानों तथा बदलावों के अनुसार मामला उठाए बिना 31 मई 2008 तक सतलुज़ ज़ल विद्युत निगम सीमित को उक्त अंतरीय राशि का भुगतान जारी करता रहा। तथापि, सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित नवम्बर 2008 के पश्चात अंतरीय राशि के बिल न देने पर सहमत हो गया और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मई 2008 से आगे सतलुज़ ज़ल विद्युत निगम सीमित को अंतरीय राशि का भुगतान जारी करना बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कम्पनी में परिवर्तित होने (जून 2010) के पश्चात सितम्बर 2001 से (नियमितीकरण की वास्तविक तिथि) मई 2008 तक 64 कामगारों को दिए गए बढ़े हुए वेतन के सम्बन्ध में ₹ 1.77 करोड़ के भुगतान के प्रत्यर्पण का मामला सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित के साथ उठाया (अक्तूबर 2011)। सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित ने इस आधार पर दावा स्वीकार करने से मना कर दिया (फरवरी 2012) कि मामला पहले ही उस समय की प्रचलित परिस्थितियों की दृष्टि से निपटाया और निर्णित किया जा चुका है।

अत: सतलुज़ ज़ल विद्युत निगम सीमित में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए 64 कार्य प्रभारित स्टाफ के सम्बन्ध में अंतरीय वेतन का भुगतान अभूतपूर्व था क्योंकि स्टॉफ तभी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जा सकता है जब लेने वाले संगठन को उनकी वेतन तथा भत्तों से सम्बंधित सारे दायित्व स्वीकार्य हो अथवा अन्यथा सभी कामगारों को वापिस बुलाया जाना चाहिए तथा इसके अपने कार्यों पर तैनात करना चाहिए।

प्रत्युन्तर में सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामला सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित के साथ अक्तूबर 2010 में उठाया गया था लेकिन फरवरी 2012 के दौरान सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित द्वारा निरस्त कर दिया गया था और मामला पुन: उठाया गया है (अक्तूबर 2013) लेकिन सतलुज़ जल विद्युत निगम सीमित से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस स्थिति से या तो समय पर प्राप्तकर्त्ता संगठन के व्यय प्रतिनियुक्ति शर्तों के व्यवस्थापन द्वारा अथवा उन्हें शर्तें एवं निबंधन स्वीकार न होने के मामले में उनकों वापिस लेकर बचा जा सकता था।

3.5 परिहार्य व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी पैकेज़ के अंतर्गत भारत संचार निगम सीमित से कम्पनी को उपलब्ध वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस बैडंविड्थ कनेक्टिविटि की सहमत दरों का लाभ लेने में विफलता के परिणामस्वरूप सितम्बर 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु 109 कनेक्शनों के वार्षिक किराए के सम्बंध में ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी पैकेज़ के कार्यान्वयन का कार्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिनिर्णित किया(अक्तूबर 2011)। अधिनिर्णय पत्र अन्य बातों के अतिरिक्त वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस बैडंविड्थ के 270 कनेक्शनों हेतु कनेक्टिविटि सम्मिलित थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस हेतु भुगतान की जाने वाली कनेक्टिविटि दरें ₹ 54,000 प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन थी। इसके अतिरिक्त, अधिनिर्णय पत्र की सामान्य शर्तों एवं निबन्धनों के परिच्छेद 4 (ख) के अनुसार वी पी न0 बी बी कनेक्टिविटि हेतु दरों की सहमति सूचना एवं

प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत संचार निगम सीमित के साथ किया जाना था और उसका लाभ कम्पनी को दिया जाना था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सितम्बर 2011 से अप्रैल 2013 की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर कम्पनी के विभिन्न यूनिटों को 109 कनेक्शन उपलब्ध करवाए तथा शेष कनेक्शनों को अभी उपलब्ध करवाया जाना था।

इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी पैकेज़ के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कनेक्टिविटि के सम्बन्ध में जनवरी 2014 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ₹ 4.28 करोड़ के बिल दिए। कम्पनी ने अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में ₹ 1.50 करोड़ तथा यूनिटों, जहां कनेक्टिविटि उपलब्ध करवाई जानी थी, के सम्बन्ध में ₹ 1.07 करोड़ के समायोजन पश्चात ₹ 1.71 करोड़ की शेष राशि भुगतानार्थ पारित कर दी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2014) कि उपरोक्त राशि में मार्च 2014 तक ₹ 54,000 प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन की दर पर 109 कनेक्शन के सम्बन्ध में ₹ 1.60 करोड़ का वार्षिक किराया सम्मिलित था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत संचार निगम सीमित से ₹ 54,000 प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन के प्रति ₹ 17,800 प्रति कनेक्शन के वार्षिक किराए पर वी पी न0 बी बी–512 के बी पी एस बैंडविड्थ की व्यवस्था की। उक्त अधिनिर्णय पत्र की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यद्यपि इन सहमत दरों का लाभ कम्पनी को दिया जाना था किन्तु उसे कम्पनी को नहीं दिया गया। कम्पनी ने कभी भी भुगतान हेतु बिल पारित करने से पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ दरों में कमी का मामला नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु 109 वीपीन0बीबी–512 केबीपीएस कनेक्शनों के वार्षिक किराए के सम्बंध में ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

अधीक्षण अभियंता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) ने बताया (जून 2014) कि इन कनेक्शनों हेतु इसे भारत संचार निगम सीमित से ₹ 54,000 प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष की दर पर पूर्व में वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अन्य कनेक्शनों पर (एमपीएलएस 512 केबीपीएस) 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की तथा भारत संचार निगम सीमित को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ₹ 17,800 के भुगतानार्थ कम्पनी के साथ उल्लेख नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से भुगतानों को जारी करने से पूर्व अधिनिर्णय पत्र के अनुसार सहमत दरों के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए थी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को सूचित किया गया था (जून 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

3.6 ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना

कम्पनी द्वारा अधिनिर्णय पत्र में मूल्य वर्धित कर के खण्ड को सम्मिलित न करके तीन ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 80.66 लाख की राशि के कार्य अनुबंधों हेतु स्त्रोत पर मूल्य वर्धित कर की कटौती नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 38 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 17(1) में अन्य बातों के अतिरिक्त प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार, निगम अथवा सरकारी उपक्रम आदि के किसी विभाग में वस्तुओं में

सम्पत्ति अंतरण हेतु भुगतान योग्य मूल्यवान प्रतिफल के सम्बंध में, चाहे वस्तुओं अथवा कुछ अन्य रूप में, कार्य अनुबंध के कार्यान्वयन अथवा किन्हीं कार्यों को करने हेतु किसी दायित्व को निभाते हुए उसके भुगतान के समय कर के प्रति ऐसी राशि के 2 *प्रतिशत* के समान राशि की कटौती करेगा। 'कार्य अनुबंध' को केन्द्रीय बिक्री कर, 1956 में किसी कार्य को करने हेतु अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जोड़ना, निर्माण, गढ़ाई, उत्थापन, उपयुक्त अधिष्ठापन, किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का सुधार या चालू करना सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2014) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने अक्तूबर 2010 व मार्च 2012 के मध्य ₹ 42.95 करोड़[9] की कुल लागत के परिरूप, आपूर्ति, नेटवर्क उपकरण लगाना और डाटा केन्द्र, शिमला तथा आपदा समुत्थान केन्द्र, पावंटा साहिब में अवसंरचना मदों के एकीकरण से सम्बंधित कार्यों को तीन फर्मों को अधिनिर्णित किया गया। कम्पनी ने मार्च 2014 तक किसी मूल्य वर्धित कर की कटौती किए बिना, जैसाकि कार्य अनुबंधों हेतु प्रयोज्य है, इन तीन ठेकेदारों को ₹ 40.33 करोड़ (मैसर्ज एच सी एल ₹ 34.23 करोड़, विप्रो: ₹ 2.22 करोड़ तथा हेवलेट पेकार्ड ₹ 3.88 करोड़) के कुल भुगतान जारी कर दिए थे। कम्पनी ने मूल्य वर्धित कर को स्रोत पर नहीं काटा क्योंकि अधिनिर्णय पत्र में मूल्य वर्धित कर की कटौती हेतु आवश्यक खण्ड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। मार्च 2014 तक इन ठेकेदारों को जारी ₹ 40.33 करोड़ के कुल भुगतान पर 2 *प्रतिशत* की दर से स्रोत पर काटे जाने वाले मूल्य वर्धित कर की राशि ₹ 80.66 लाख बनती है।

अत:, कम्पनी द्वारा अधिनिर्णय पत्र में मूल्य वर्धित कर का खण्ड सम्मिलित न करके तीन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति लगाने के दायित्व के अतिरिक्त कार्यों के अनुबंध हेतु ₹ 80.66 लाख की राशि के स्रोत पर काटे जाने वाला मूल्य वर्धित कर नहीं लगा।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

3.7 आपूर्तिकर्त्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना

आपूर्ति आदेश देने से पूर्व फर्म के प्रत्ययपत्रों के सत्यापन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2011 से मई 2014 के दौरान रन्नरों की व्यवस्था न करने के कारण ₹ 7.18 करोड़ की उत्पादन हानि के अतिरिक्त ₹ 32.73 लाख के अग्रिम भुगतान की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने बिनवा जल विद्युत परियोजना हेतु रन्नरों की आपूर्ति हेतु बोलियों (अक्तूबर 2009) के मूल्यांकन पश्चात् मैसर्ज टैकनिप गेंज मशिनरी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली तथा मैसर्ज गेंज इंजीनियरिंग एण्ड ऐनरजेटिक्स मशीनरी लिमिटेड, हंगरी को एल 1 के रूप में संयुक्त उद्यम घोषित किया। संयुक्त उद्यम ने कम्पनी से दो पृथक आदेशों को एक हंगरीयन पार्टनर (गेंज इंजीनियरिंग एण्ड ऐनरजेटिक्स

[9] मार्च 2012 में मैसर्ज एच सी एल इनको सिस्टम लिमिटेड को: ₹ 36.76 करोड़, मार्च 2011 में मैसर्ज विरपो लिमिटेड को ₹ 2.32 करोड़ तथा अक्तूबर 2011 में मैसर्ज हेवलेट पैकर्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 3.87 करोड़।

मशीनरी लिमिटेड) को आपूर्ति हेतु तथा अन्य इसके भारतीय पार्टनर (मैसर्ज टैकनिप गेंज मशिनरी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड) को सेवाओं हेतु देने का अनुरोध किया।

कम्पनी ने वार्ताएं की (मई 2010) जिसमें अन्य फर्म मैसर्ज गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मोहाली के प्रतिनिधि ने भाग लिया। प्रतिनिधि ने हंगरीयन पार्टनर को आपूर्ति आदेश देने की पूर्व शर्तों को पलटते हुए प्रस्तावित किया कि रन्नरों को उनके द्वारा आयात किया जाएगा तथा मोहाली में जांचार्थ रखा जाएगा। कम्पनी ने गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के प्रत्ययपत्र जाने बिना, जो आवश्यक था, क्योंकि कम्पनी ने संयुक्त उद्यम (मैसर्ज टैकनिप गेंज मशिनरी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड तथा गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की बोलियों का मूल्यांकन किया था, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

बिनवा जल विद्युत परियोजना हेतु शीघ्र आवश्यकता पूर्ति को एक अतिरिक्त फालतु रन्नर सहित दो रन्नरों की आपूर्ति और लगाने हेतु गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली को ₹ 2.59 करोड़ का अधिनिर्णय पत्र दिया गया (अगस्त 2010)। गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली के साथ आपूर्ति और आरम्भ के 12 महीने की पूर्णता अवधि की शर्त पर अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया (सितम्बर 2010)। कम्पनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार 12 सितम्बर 2011 तक वैध बैंक प्रत्याभूति के प्रति दिसम्बर 2010 में ₹ 58.67 लाख के ब्याज वाला अग्रिम जारी किया। ठेकेदार ने 12 सितम्बर 2012 तक वैध ₹ 25.94 लाख की अन्य बैंक प्रत्याभूति अनुबंध निष्पादन प्रतिभूति के रूप में दी (सितम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि फर्म ने अगस्त 2012 तक सुपूर्दगी अनुसूची संशोधित करवाने के पश्चात् भी रन्नरों की आपूर्ति नहीं की। सितम्बर 2011 तक वैध बैंक प्रत्याभूति समाप्त हो गई क्योंकि कम्पनी ने वैधता अवधि वृद्धि हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की। तथापि, अनुबंध निष्पादन प्रतिभूति के बदले ₹ 25.94 लाख की बैंक प्रत्याभूति को सितम्बर 2014 तक बढ़ाया गया जिसे कम्पनी द्वारा जनवरी 2014 में भुनाया गया। इसके अतिरिक्त मामला उठाने पर मैसर्ज गेंज इंजीनियरिंग एण्ड ऐनरजेटिक्स मशीनरी लिमिटेड, हंगरी ने सूचित किया कि उनका गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली के साथ कारोबारी सम्बंध नहीं था। इसने स्पष्ट दर्शाया कि कम्पनी ने ऐसी फर्म से वार्ता की तथा खरीद आदेश दिए जिसने बोलियों में भाग नहीं लिया था।

अत:, पूर्व में जो कुछ हुआ की जांच किए बिना फर्म से वार्ता कराना तथा खरीद आदेश देना बैंक प्रत्याभूति को इसकी समाप्ति पूर्व भुनाने की समय पर कार्रवाई में विफलता से जोड़ता है जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक ₹ 22.10 लाख की ब्याज हानि के अतिरिक्त अक्तूबर 2011 से मई 2014 के दौरान ₹ 7.18 करोड़ की उत्सर्जन हानि तथा ₹ 32.73 लाख की हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि नई दिल्ली और मोहाली स्थित दोनों फर्में मूल्य वार्ता (अप्रैल 2010) हेतु आमंत्रित की गई थी किन्तु मोहाली स्थित फर्म ने वार्ता में भाग लिया। बैंक प्रत्याभूति के नवीकरण न करने के सम्बंध में सरकार ने बताया कि भ्रान्त बैंक को, यदि सम्भव है, आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास मामले को उठाया गया है तथा उत्सर्जन हानि को विवाचक के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिदावे में दावा किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि फर्म को वार्ता के लिए बुलाने का औचित्य नहीं था जिसने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी बैंक प्रत्याभुति नवीकरण/भुनाने हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफल रही और बैंक की गलती नहीं थी जैसाकि उत्तर में आरोपित था।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित

3.8 ब्याज का परिहार्य भुगतान

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमत निर्धारित समय के भीतर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान बकाया के भुगतान जारी करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश (उच्च न्यायालय) ने सुख राम चन्देल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य नाम से सिविल समादेश-याचिका संख्या 2031/2008 में दिए गए अपने निर्णय दिनांक 6 जुलाई 2009 के अनुसार कम्पनी के चालकों को जनवरी 1986 ₹ 1025-2100 के विद्यमान वेतनमान के प्रति ₹ 1200-2100 का वेतनमान अनुमत किया। कम्पनी ने इस निर्णय के प्रति उच्च न्यायालय के डिविजन बैंच के सम्मुख याचिका[10] दायर की। डिविजन बैंच ने अपने पूर्व के निर्णय में हस्तक्षेप से मना करते हुए कम्पनी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (मई 2012) कि माननीय एकाकी न्यायाधीश के निर्णयानुसार सभी चालकों को देय राशि अंततम 30 सितम्बर 2012 तक जारी की जाए अन्यथा कम्पनी को राशि के देय होने की तिथि से राशि के जारी होने तक 9 *प्रतिशत* वार्षिक की दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी प्रेक्षण किया कि यदि राशि को अनुमित समय के भीतर नहीं दिया जाता तो यह अवमानना को अपवृद्धि करने वाला माना जाऐगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2014) कि कम्पनी ने न तो भारत के उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के प्रति याचिका दायर की न ही उक्त निर्देशों को 30 सितम्बर 2012 तक कार्यान्वित किया। कम्पनी ने दिसम्बर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य 29 चालकों को ₹ 51.58 लाख की कुल वेतन बकाया की राशि जारी कर दी। क्योंकि प्रत्येक चालक को संशोधित वेतनमान अनुमत समयोपरान्त (सितम्बर 2012) जारी किया गया, कम्पनी को इस बकाया पर 9 *प्रतिशत* वार्षिक (जनवरी 1986 से) दर से ब्याज का भुगतान करना था। कम्पनी ने अगस्त 2013 में अपने 29 चालकों को इस सम्बंध में ब्याज के ₹ 37.51 लाख जारी किए।

अतः, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनी के अपने कर्मचारियों को सितम्बर 2012 तक संशोधित वेतनमान का बकाया जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2014) कि कार्यान्वयन से पूर्व उपलब्ध सभी विधिक विकल्पों/उपायों की छान-बीन के लिए मामले की फाईल उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर करने हेतु अधिवक्ता को सौंपी गई थी। प्रबुद्ध अधिवक्ता ने सूचित किया (अक्तूबर 2012) कि विशेष याचिका हेतु यह उपयुक्त मामला नहीं था। अतः, ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि अवमानना प्रक्रिया को रोका जा सके जो अभी तक उच्च न्यायालय में लम्बित थी।

---

[10] लेटर पेटेंट अपील (एल पी ए संख्या 2009 का 108)

राज्य सरकार का उत्तर (जून 2014) संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कम्पनी को सितम्बर 2012 की निर्धारित तिथि से पहले सभी विधिक विकल्पों की छान-बीन कर लेनी चाहिए थी जिससे न केवल ब्याज का भुगतान बचता अपितु उच्च न्यायालय में लम्बित बताई गई अवमानना प्रक्रिया को भी रोका जा सकता था।

3.9 विद्युत अनुबंध मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

केन्द्रीय तापन प्रणाली की अप्रचालनीय अवधि के दौरान विद्युत की अनुबंध मांग को कम करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.88 लाख के मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलो वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं हेतु द्विभागीय शुल्क-सूची ढांचा अनुमोदित (अक्तूबर 2004) किया था। इस शुल्क-सूची ढांचे के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराए गए अनुबंध मांग पर अधिसूचित दरों पर समय-समय से अनुबंध मांग प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिक्री नियमावली (अगस्त 2007 में संशोधित) के अनुदेश संख्या 39 के अनुसार उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्ष में दो बार अनुबंध मांग को संशोधित करने की स्वतंत्रता थी। जून 2013 तक अनुबंध मांग की कटौती हेतु सीमा नहीं थी और इसके पश्चात् मई 2013 में जारी शुल्क-सूची अधिसूचना के अनुसार जुलाई 2013 से कुल अनुबंध मांग के 50 *प्रतिशत* से नीचे अनुबंध मांग में कटौती अनुमत्य नहीं थी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) के पास 373 किलो वोल्ट एम्पीयर की अनुबंध मांग सहित होटल पीटरहॉफ, शिमला की केन्द्रीय तापन प्रणाली को चलाने हेतु विद्युत संयोजन (संयोजित भार 1,084 किलो वाट का) था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2014) में पाया गया कि अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2013 (69 महीने) की अवधि के दौरान केन्द्रीय तापन प्रणाली हेतु प्रतिस्थापित मीटर पर अधिकतम दर्ज मांग 30 महीनों के लिए शून्य किलो वोल्ट एम्पीयर, 34 महीनों हेतु 10 किलो वोल्ट एम्पीयर से कम और पांच महीनों के लिए 10 किलो वोल्ट एम्पीयर से वृहत्तर रही। केन्द्रीय तापन प्रणाली वर्ष में केवल दिसम्बर से मार्च के दौरान प्रचालित की गई और अप्रैल से नवम्बर तक प्रचालित नहीं की गई किन्तु कम्पनी ने 373 किलो वोल्ट एम्पीयर की पूर्ण अनुबंध मांग पर समूची अवधि हेतु मांग प्रभारों का भुगतान किया। प्रबंधन के पास तापन आवश्यकता के अनुसार वर्ष में दो बार अनुबंध मांग संशोधन का विकल्प था, यह इसे कम करने में विफल रहा जब केन्द्रीय तापन प्रणाली प्रचालित नहीं की गई थी और बावजूद इसके सहमत अनुबंध मांग के अनुसार समूची अवधि हेतु मांग प्रभारों का निरंतर भुगतान किया गया जो अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान ₹ 33,600 और ₹ 46,998 *प्रति मास के मध्य रहा।*

केन्द्रीय तापन प्रणाली के प्रचालनीय प्रतिमान को देखते हुए कम्पनी अप्रैल से नवम्बर की अवधि के दौरान जब केन्द्रीय तापन प्रणाली प्रचालित नहीं की जाती 10 किलो वोल्ट एम्पीयर तक अनुबंध मांग कम करके और दिसम्बर में मार्च तक ठण्ड के महीनों के दौरान पूर्ण अनुबंध मांग को चुन सकती थी। यदि कम्पनी ने अनुबंध मांग की इस कटौती का भी लाभ उठाया होता तो

अप्रैल 2008 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान भुगतान किए गए मांग प्रभारों के सम्बंध में ₹ 15.88 लाख (जैसाकि **परिशिष्ट 3.3** में विवरणित है) की बचत की होती।

अत: वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुबंध मांग कम न करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.88 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2014) कि होटल पीटर हॉफ का वाणिज्यिक के अतिरिक्त राज्य अतिथि गृह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। राज्य अतिथियों और अन्य ग्राहकों के आरामदायक ठहराव हेतु केन्द्रीय तापन प्रणाली तथा अन्य सुविधाएं तैयार रखी जानी अपेक्षित होती हैं।

राज्य सरकार का उत्तर (जून 2014) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केन्द्रीय तापन प्रणाली हेतु अधिकतम दर्ज मांग अप्रैल 2008 से नवम्बर 2013 के दौरान (दिसम्बर से मार्च के ठण्ड के महीने निकालकर) कभी भी 10 किलो वोल्ट एम्पीयर से नहीं बढ़ी। यह स्पष्ट इंगित करता है कि प्रति वर्ष अप्रैल से नवम्बर के कम खपत वाले महीनों हेतु अनुबंध मांग को संशोधित करके बचत करने की पर्याप्त सम्भावना थी।

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित

3.10 भूमि क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान

सड़क के निर्माण सीमा क्षेत्र से बाहर सीमांकित भुमि के सम्बंध में भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान को रोकने की कार्रवाई प्रारंभ करने में कम्पनी की विफलता के कारण भूमि मालिकों को ₹ 29.33 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक सहायता के माध्यम से ऊना-नेर चौक सड़क भाग का उन्नयन तथा सुधार आरम्भ किया (अगस्त 2008)। यह कार्य हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (कम्पनी) को सौंपा गया। इस सड़क के निर्माणार्थ अपेक्षित भूमि को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम) में निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार सम्बंधित भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर प्राप्त किया जाना था।

इस सड़क के निर्माणार्थ भूमि प्राप्ति के लिए भू-अर्जन अधिकारी, मण्डी द्वारा अपेक्षित भूमि अधिसूचित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भू-अर्जन प्रक्रिया आरम्भ (फरवरी 2007) कर दी। अधिसूचित *खसरा नम्बरों में से खसरा* नम्बर 408 (गांव हर), *खसरा* नम्बर 144/2/1 तथा *खसरा* नम्बर 662 (गांव मुडखर गेंदा) का अधिग्रहण नहीं किया जाना था क्योंकि वे निर्माण सीमा क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए, इन *खसरा* नम्बरों को भू-अर्जन स्टाफ, कम्पनी अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल की संयुक्त रूप से की गई जांच व सीमांकन के दौरान (मार्च 2009, मई 2009 और जनवरी 2010) अर्जन सूची से निकालने का प्रस्ताव किया गया। तथापि, कम्पनी द्वारा इन *खसरा* नम्बरों को अर्जन सूची से निकालने की कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांव हर में ₹ 98.80 लाख हेतु (दिसम्बर 2009) और मुडखर गेंदा में ₹ 248.23 लाख हेतु (फरवरी 2010) ऊना-नेर चौक सड़क के उन्नयन/सुधार के सम्बंध में अधिनिर्णय प्रारूप अनुमोदित कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2011) कि अधिनिर्णय में निजी भुमि हेतु *खसरा* नम्बर 408 के लिए ₹ 1.78 लाख और *खसरा* नम्बर 144/2/1 तथा *खसरा* नम्बर 662 के लिए ₹ 27.55 लाख की क्षतिपूर्ति सम्मिलित थी, जिन्हें अधिनिर्णय से निकालने का प्रस्ताव रखा गया था। कम्पनी को यद्यपि ज्ञात था कि उपरोक्त *खसरा* नम्बर अधिनिर्णय में सम्मिलित थे फिर भी राशि को रोकने और निजी भूमि मालिकों में वितरणार्थ भू-अर्जन अधिकारी, मण्डी को कुल अधिनिर्णय राशि जारी करने (फरवरी 2010) की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई। सम्बंधित भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति के क्रमश: ₹ 1.22 लाख (*खसरा* नम्बर 662), ₹ 1.78 लाख (*खसरा* नम्बर 408) तथा ₹ 26.33 लाख (*खसरा* नम्बर 144/2/1) क्रमश: फरवरी 2010, मार्च 2010 व नबम्बर 2010 में जारी किए गए।

अत: कम्पनी की संयुक्त जांच तथा भूमि सीमांकन टीम की सिफारिशों के अनुसार अधिनिर्णय घोषणा से पहले अर्जन सूची से इन *खसरा* नम्बरों को निकालने में समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने में विफलता के परिणामस्वरूप सम्बंधित भूमि मालिकों को ₹ 29.33 लाख की क्षतिपूर्ति राशि का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अभी तक (नवम्बर 2014) इन *खसरा* नम्बरों को अधिसूचना से निकालकर भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार भूमि मालिकों से इस राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।

मामला राज्य सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

राम मोहन जौहरी

शिमला **(आर0एम0जौहरी)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**